हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुयी। खातेदार पूर्ण, मानाराम, लालाराम, लीलाराम पूर्व में [illegible] में उपस्थित होकर प्रस्तावित रास्ते पर सहमति पेश की तथा समस्त शेष खातेदारान बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः शेष खातेदारान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उपस्थित खातेदारान को सुना गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनाक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्राक भू.अ./2023/2307 दिनांक 01.05.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **चला** पटवार मण्डल **चला** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **2053/573 रकबा 1.2725 हैक्ट0 में से 04 मीटर चौडा** व **80 मीटर लम्बाई** कुल 320 वर्गमीटर रास्ता का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ सलंग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। जिन भूमियों में से रास्ता प्रस्तावित किया है उन भूमियों के अधिकतर खातेदारान ने प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शें में तरमीम करने की लिखित सहमति प्रदान की है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित [illegible] नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व [illegible] अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना [illegible] जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner